**2019 का विधेयक संख्यांक 131**

[दि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

# मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

**मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993**
**का और संशोधन**
**करने के लिए**
**विधेयक**

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

**1.** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

**2.** मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) में, — 1994 का 10

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(खक) "मुख्य आयुक्त" से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 74 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है ;'; 2016 का 49

(ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(छक) "राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग" से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है ;'; 1993 का 27

(iii) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(जक) "राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग" से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है ;'। 2006 का 4

धारा 3 का संशोधन ।

**3.** मूल अधिनियम की धारा 3 में, —

(क) उपधारा (2) में, —

(i) खंड (क) में "मुख्य न्यायमूर्ति" शब्दों के स्थान पर "भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या कोई न्यायाधीश" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) में "दो सदस्य" शब्दों के स्थान पर "तीन सदस्य, जिनमें से कम से कम एक सदस्य महिला होगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, —

(i) "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग," शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग," शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) में, "ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा" से आरंभ होने और "यथास्थिति, आयोग या अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित करे" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों (सिवाय न्यायिक कृत्यों और धारा 40ख के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के) का प्रयोग करेगा" शब्द रखे जाएंगे ।"।

**4.** मूल अधिनियम की धारा 6 में,— धारा 6 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में,--

(क) "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) अंत में आने वाले "पदधारण करेगा" शब्दों के पश्चात्, "और वह पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "पांच वर्ष की और अवधि के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

**5.** मूल अधिनियम की धारा 21 में,— धारा 21 का संशोधन ।

(i) उपधारा (2) के खंड (क) में, "मुख्य न्यायमूर्ति" शब्दों के स्थान पर, "मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) में, "ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो राज्य आयोग उसे प्रत्यायोजित करे" शब्दों के स्थान पर, "अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए राज्य आयोग की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(7) धारा 12 के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली से भिन्न संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों को आदेश द्वारा ऐसे राज्य आयोग को सौंप सकेगी ।

(8) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र की दशा में मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों के संबंध में आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी ।"।

**6.** मूल अधिनियम की धारा 24 में,— धारा 24 का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) में,—

(क) "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) अंत में आने वाले "पदधारण करेगा" शब्दों के पश्चात्, "और वह पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "पांच वर्ष की और अवधि के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (अधिनियम) को, मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (आयोग), राज्य मानव अधिकार आयोग (राज्य आयोग) और मानव अधिकार न्यायालयों के गठन हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने, उक्त आयोग की पुनः-प्रत्यायन प्रास्थिति सम्बन्धी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की वैश्विक संधि की प्रत्यायन सम्बन्धी उपसमिति द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करने के लिए अधिनियम में कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव किया है । इसके अतिरिक्त, कतिपय राज्य सरकारों ने भी अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्ताव किए हैं, क्योंकि उन्हें सम्बन्धित राज्य आयोगों के अध्यक्ष के पद पर, उक्त पद के लिए विद्यमान पात्रता मानदंडों के कारण, उचित अभ्यर्थियों को ढूंढने में कठिनाईयां आ रही हैं ।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उक्त अधियनिम के कतिपय उपबंधों का संशोधन करना आवश्यक हो गया है । प्रस्तावित संशोधन आयोग और साथ ही राज्य आयोगों को भी, उनकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुलवाद और मानव अधिकारों के प्रभावी संरक्षण तथा उनका संवर्धन करने हेतु व्यापक कृत्यों के सम्बन्ध में पेरिस सिद्धांत से और अधिक सुनक्य बनाने में समर्थ बनाएगें ।

4. मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है,—

(i) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (क) का संशोधन करने, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसे व्यक्ति, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, को भी ऐसे व्यक्ति के अतिरिक्त, जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है, आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र बनाया जा सके ;

(ii) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (घ) का संशोधन करने, जिससे आयोग के सदस्यों की संख्या को दो से बढ़ाकर तीन किया जा सके, जिनमें से एक महिला होगी ;

(iii) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) का संशोधन करने, जिससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों सम्बन्धी मुख्य आयुक्त को आयोग के समझे गए सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जा सके ;

(iv) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा धारा 24 की उपधारा (1) और उपधारा (2) का संशोधन करने, जिससे आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की पदावधि को पांच वर्ष से कम करके तीन वर्ष किया जा सके और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ;

(v) अधिनियम की धारा 21 का संशोधन करने, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसे व्यक्ति, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, को भी

ऐसे व्यक्ति के अतिरिक्त, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है, राज्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र बनाया जा सके ;

(vi) अधिनियम की धारा 21 में नई उपधारा (7) और उपधारा (8) अन्तःस्थापित करने, जिससे दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न अन्य संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानव अधिकारों सम्बन्धी कृत्यों को राज्य आयोगों को प्रदत्त किया जा सके, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी ।

5. विधेयक उक्त उद्देश्यो को पूरा करने के लिए है ।

**नई दिल्ली ;**
**27 जून, 2019**

**अमित शाह**

## वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 के उपखंड (क) के मद (ii) में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या में एक सदस्य की वृद्धि करने हेतु उपबंध है । इसके अतिरिक्त, सदस्य के कार्यालय के लिए प्रधान निजी सचिव, व्यैक्तिक सहायक, स्टाफ कारचालक के एक-एक पद और बहु-कार्य कर्मचारिवृन्द के तीन पदों का सृजन किया जाएगा । सदस्य के एक पद और साथ ही ऐसे सदस्य के कार्यालय के लिए कर्मचारिवृन्द के पदों के सृजन के लिए आरम्भिक वर्ष के दौरान होने वाले व्यय को लगभग दो करोड़ रुपए के रूप प्राक्कलित किया गया है, जो मुख्यतः आवर्ती प्रकृति का होगा ।

2. विधेयक में आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय अन्तर्वलित नहीं है ।

उपाबंध

# मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का अधिनियम संख्यांक 10) से उद्धरण

* * * * *

## अध्याय 2

## राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

**3.** (1) * * * * राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन।

(2) आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है;

* * * * *

(घ) दो सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है ।

* * * * *

(3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष धारा 12 के खंड (ख) से खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे ।

(4) एक महासचिव होगा, जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, (न्यायिक कृत्यों और धारा 40ख के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय) जो, यथास्थिति, आयोग या अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित करे ।

* * * * *

**6.** (1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा । अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पांच वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा ।

* * * * *

## अध्याय 5

## राज्य मानव अधिकार आयोग

राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन ।

21. (1) * * * *

(2) राज्य आयोग ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) एक अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है;

* * * * *

(3) एक सचिव होगा, जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो राज्य आयोग उसे प्रत्यायोजित करे ।

* * * * *

राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि ।

**24.** (1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा ।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पांच वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा ।

* * * * *

MGIPMRND—1114LS(CRC)—02-07-2019.